न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 368/2026,
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 26/2026, आरक्षी केन्द्र कल्याणपुर,
CNR : RJBA010010082026

श्यामसुंदर पुत्र सालमराम, उम्र 51 वर्ष, निवासी नेवरी, पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2026, पुलिस थाना कल्याणपुर, अपराध अन्तर्गत धारा 76, 115(2), 126(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री नारायणसिंह भाटी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 10.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह **अग्रिम** जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । बहस जमानत सुनी एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का कोई कृत्य नहीं बताया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादिया के साथ दो व्यक्तियों द्वारा अश्लील

हरकतें करना उस समय उसके भाई नितेश, जीजाजी तिलोकराम व भाई गजेन्द्र द्वारा बीच बचाव कर छुड़वाना बताया है । उक्त घटना के कुछ समय बाद मौके पर सरपंच पीराराम का आना और उनके द्वारा घटना की जानकारी लिए जाने के समय प्रार्थी व चार–पॉच अन्य लोगों का लाठी, सरिया व चाकू लेकर आना एवं मारपीट करना बताया है परन्तु किसी भी आहत के कोई चोट नहीं आई है । यह भी तर्क दिया कि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत नवेरी में जसवंतसिंह की दवाईयों की दुकान है जो अवैध रुप से फर्जी डॉक्टर बनकर इन्सानों व पशुओं का ईलाज करता है । जसवंतसिंह की दुकान के बाहर शराबियों व तस्करों का दिनभर जमावड़ा रहता है एवं उत्पात मचाते रहते हैं, जिसकी शिकायत प्रार्थी श्यामसुन्दर ने की इस बात से नाराज होकर दिनांक 24.03.2026 को प्रार्थी रात्रि में परिवार सहित खाना खा रहा था तब जसवंतसिंह वगैरा ने घर में अनाधिकृत प्रवेश कर जातिसूचक गालियां दी, जिसका मुकदमा प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2026 को दर्ज करवाया था उससे व्यथित होकर झूँठें तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण दर्ज करवाया है । प्रार्थी द्वारा परिवादिया की लज्जा भंग करना तथा घटना के समय मौके पर उपस्थित होने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है एवं उसका बाद में मौके पर आना बताया गया है । प्रार्थी को केवल मात्र गिरफ्तार करवाये जाने के उद्देश्य से यह प्रकरण दर्ज करवाया है ।

3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी 51 वर्षीय व्यक्ति है तथा गांव नवेरी, पुलिस थाना कल्याणपुर का स्थाई निवासी है, जिसके कहीं पर भी भागने या फरार होने का अंदेशा नहीं है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज होकर लंबित नहीं है । प्रार्थी अनुसंधान में सहयोग करने तथा माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना के लिए तैयार एवं तत्पर है। नरपत गर्ग व सत्यनारायण का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला नरपत गर्ग व सत्यनारायण के समान है। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादिया की लज्जा भंग करने, मारपीट करने व सदोष अवरोध कारित करने के गंभीर अपराध है । प्रार्थी का मामला अग्रिम जमानत योग्य नहीं होना बताते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये

निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	पुलिस थाना	चालान नं.	स्थिति
-	-	–	–	-	–

6. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से मामला इस प्रकार जाहिर होता है कि परिवादिया व उसका छोटा भाई नितेश दिनांक 24.03.2026 की रात्रि 08.30 पीएम पर नेवरी गांव जा रहे थे । नितेश को सर्दी जुकाम होने से वह दवाई की दुकान पर दवाई लेने गया और परिवादिया स्कूटी लेकर साईड में खड़ी हो गई उस समय उसे अकेला देखकर जीतू परिवादिया के साथ अश्लील हरकतें करने लगा वह चिल्लाई तब नितेश, उसके जीजा तिलोकराम व भाई गजेन्द्र मौके पर आ गए, जिन्होंने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया । प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि थोड़ी देर बाद नवेरी गांव के सरपंच पीराराम मौके पर आ गए और घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे उस समय प्रार्थी व चार–पॉच अन्य लोग लाठी, सरिया लेकर आए एवं उन सभी ने उनके साथ मारपीट की । केस डायरी पर किसी भी आहत के चोट प्रतिवेदन नहीं है तथा आहतगण ने उनके बदन पर कोई जाहिरा चोट नहीं होने से मेडिकल मुआयना नहीं करवाना कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं जो प्रार्थना पत्र केस डायरी पर संलग्न है । प्रार्थी द्वारा परिवादिया के साथ कोई अश्लील हरकत की हो या उसकी लज्जा भंग की हो ऐसा कोई कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है । प्रति प्रकरण भी दर्ज होना बताया है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27 दिनांक 27.03.2026 भी पेश हुई है । प्रार्थी गांव नवेरी, पुलिस थाना कल्याणपुर का स्थायी निवासी है, जिसके कहीं पर भी भागने या फरार होने का अंदेशा प्रतीत नहीं होता है तथा न ही गवाहों को बरगलाने का आरोप है । नरपत गर्ग व सत्यनारायण का अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला नरपत गर्ग व सत्यनारायण के समान है। इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए व केस डायरी पर दौराने अनुसंधान एकत्रित समग्र साक्ष्य सामग्री के अवलोकन से प्रार्थी का **अग्रिम** जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त श्यामसुंदर की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निम्न शर्तो सहित पच्चीस हजार रूपये का स्वयं का

मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की मौतबीर जमानत अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

1. कि प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान अधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा,धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. आदेश की एक प्रति पालनार्थ संबंधित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

8. आदेश आज दिनांक 10.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

HITESH MANGNANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Date: 2026.07.13 10:07:29 +0530